"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई,दिनांक 30–05–2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 470] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2013—आश्विन 26, शक 1935

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

अधिसूचना

क्रमांक 08/चार/वि. स. चु./2013 .— यत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की विद्यमान विधान सभा, यदि शीघ्र विघटित न हो, दिनांक 04 जनवरी, 2014 को सम्मिलित करते हुए उस तारीख तक चालू रहेगी और उसके पश्चात् उसकी पदावधि के अवसान पर भंग मानी जाएगी - और

यत: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (1) की शर्तों पर राज्य की नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन से साधारण निर्वाचन कराया जाना है-

अत: अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल, नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट राज्य के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करें.

सारणी

वि. स. क्र.	विधान सभा का नाम
73	खैरागढ़
74	डोंगरगढ़ (अ. जा.)
75	राजनांदगांव
76	डोंगरगांव
77	खुज्जी

वि. स. क्र.	विधान सभा का नाम
78	मोहला-मानपुर (अ. ज. जा.)
79	अंतागढ़ (अ. ज. जा.)
80	भानुप्रतापपुर (अ. ज. जा.)
81	कांकेर (अ. ज. जा.)
82	केशकाल (अ. ज. जा.)
83	कोंडागांव (अ. ज. जा.)
84	नारायणपुर (अ. ज. जा.)
85	बस्तर (अ. ज. जा.)
86	जगदलपुर
87	चित्रकोट (अ. ज. जा.)
88	दंतेवाड़ा (अ. ज. जा.)
89	बीजापुर (अ. ज. जा.)
90	कोन्टा (अ. ज. जा.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

Raipur, the 18th October 2013

NOTIFICATION

No. 08/04/V. S. E./2013. — WHEREAS, in accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Asssembly of the State of Chhattisgarh, unless sooner dissolved, shall continue up to and including the 04th January, 2014 and shall thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

WHEREAS, in terms of sub-section (1) of section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the State;

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Chhattisgarh is hereby pleased to call upon each of the Assembly Constituencies of the State specified in the Table below, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

TABLE

AC No.	Name of AC
73	Khairagarh
74	Dongargarh (SC)
75	Rajnandgaon
76	Dongargaon

AC No.	Name of AC
77	Khujji
78	Mohla-Manpur (ST)
79	Antagarh (ST)
80	Bhanupratappur (ST)
81	Kanker (ST)
82	Keshkal (ST)
83	Kondagaon (ST)
84	Narayanpur (ST)
85	Bastar (ST)
86	Jagdalpur
87	Chitrakot (ST)
88	Dantewada (ST)
89	Bijapur (ST)
90	Konta (ST)

By order and and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUNIL KUMAR, Chief Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.